संख्या–749/XVII-4/2016–01(135)/2013–टी.सी.–1

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

2. **निदेशक,**
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड़,
देहरादून।

3. **निदेशक,**
विद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–4

देहरादून, दिनांक 23 मई, 2016

विषयः– समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित गौरादेवी कन्याधन योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे निवासरत समस्त परिवारों की दो बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन देने हेतु गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने एंवं निस्तारण की समयसीमा एवं पारदर्शी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 से उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को ऑन लाईन करने का निर्णय लिया गया है तथा इन प्रक्रियाओं हेतु समय सारणी एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन प्रक्रिया का भी निर्धारण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत आवेदन करने एवं ऑन लाईन प्रविष्टि करने, मार्गदर्शन एवं अन्य प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन प्रविष्ट करने हेतु एन.आई.सी., उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विकसित वेबपोर्टल http://escholarship.uk.gov.in पर Login करना होगा। उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं समय–सीमा का विवरण निम्नवत है –

1. गौरा देवी कन्या धन योजना हेतु पात्रता–

(I) गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों अथवा जिनकी वार्षिक आय रू0 15,976/–(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं में 21,206/– (शहरी क्षेत्र) से अधिक न हो।

(II) योजना का लाभ केवल इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को ही दिया जायेगा एवं व्यक्तिगत परीक्षा के माध्यम से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीण करने वाली केवल अविवाहित छात्रा पात्र होगी तथा उसकी उम्र उस शैक्षिक वर्ष के माह की 01 जुलाई, को 25 वर्ष से अधिक न हो।

(III) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की ऐसी बालिकायें पात्र होगी जो राज्य में स्थित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (शासकीय/अशासकीय) इण्टर कालेजों में कक्षा–12 में अध्ययनरत हैं।

(IV) पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं होगी।

(V) एक दम्पत्ति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

(VI) योजना के अन्तर्गत चयनित प्रति छात्रा को ₹50,000 की धनराशि 'कन्याधन' के रूप में स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्टीयकृत बैंक अथवा ऐसे शासकीय बैंक जो सी0बी0एस0 माध्यम से जुड़े है में छात्रा के नाम से तीन से पांच वर्ष की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी तथा जिस पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार मासिक ब्याज दिया जायेगा।

2. <u>ऑनलाईन आवेदन करते हुए निम्न अभिलेखों को संलग्न किया जाना आवश्यक होगा–</u>

(I) आवेदन पत्र पर छात्रा का पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चस्पा हो तथा दो पासपोर्ट साईज के फोटो आवेदन–पत्र पर पृथक से संलग्न हों।

(II) अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

(III) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदत्त बी0पी0एल0 श्रेणी/बी0पी0एल0 कार्ड की सत्यापित प्रति।

(IV) बी0पी0एल0 श्रेणी के अतिरिक्त निर्धारित आय हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति। (जो 6 माह पूर्व का न हो)

(V) जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

(VI) परिवार रजिस्टर की नकल की प्रति।

(VII) एफ0डी0आर0 हेतु संबंधित बैक के एफ0डी0आर0 फार्म छात्रा के हस्ताक्षर सहित।

(VIII) 25 वर्ष तक के अविवाहित छात्राओं हेतु संबंधित प्रधान/वार्ड मैम्बर द्वारा प्रदत्त अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र।

(IX) एफ0डी0आर0 हेतु अभ्यर्थी अपने राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शासकीय बैंक जो सी0बी0एस0 माध्यम से जुड़े हैं, के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, जिसमें अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण अंकित हो, की छायाप्रति।

(X) आधार कार्ड/सं0 अनिवार्य है।

(XI) आई0डी0प्रूफ हेतु परिचय पत्र/फोटो पहचान पत्र/आधार कार्ड या राशन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।

(XII) छात्रा/अभिभावक एस0एम0एस0 सुविधा एवं सम्पर्क हेतु मोबाईल नम्बर।

(XIII) विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा जारी अनुक्रमांक का अंकन आवेदन–पत्र पर किया जाना होगा।

(XIV) ईमेल आई0डी0 (वैकल्पिक)

3. **गौरा देवी कन्याधन योजना के ऑनलाईन पंजीकरण, स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है –**

(I) समस्त छात्राओ को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर अपने विद्यालय मे जमा करवाना होगा। सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा समस्त आवेदनों को अपनी संस्तुति सहित सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकरी कार्यालय मे जमा कराना होगा।

(II) जिन छात्राओं द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति हेतु वर्तमान शैक्षिक वर्ष मे आवेदन पत्र भरे गये हैं तथा जिनके आवेदनों की ऑनलाईन प्रविष्टि है तथा जो गौरा देवी कन्या धन योजना हेतु भी पात्र हैं, ऐसी छात्राओं का ड़ाटा सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सीधे डाटापुल कर तथा उनमें आवश्यक जानकारी अद्यतन कर गौरा देवी योजना पोर्टल पर चिन्हित करना होगा।

(III) ऑनलाईन डाटा पुलिंग एवं सामान्य वर्ग की छात्राओं की सफलतापूर्वक ऑनलाईन प्रविष्ट हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी समस्त पात्र छात्राओं को भौतिक सत्यापन कर ऑनलाईन Verify **(सत्यापित)** करेगें। इसके उपरान्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य जाति के सत्यापित किये गये आवेदनो को सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी कों अग्रेतर कार्यवाही हेतु ऑनलाईन प्रेषित करेंगे। यदि ब्लॉक स्तर पर ऑनलाईन प्रेषण की सुविधा नही है तो उस दशा में सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाईन आवेदन पत्रों के प्रेषण का कार्य जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय मे संपादित किया जायेगा।

(IV) जिन विकास खण्डों में ऑनलाईन डाटा प्रविष्टि की सुविधा नही है उन स्थानों में सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय मे जाकर आवेदनों की ऑनलाईन डाटा एन्ट्री करेंगे।

(V) सम्बधित जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी जिला स्तर पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच करेंगे यदि जांचोपरान्त किसी आवेदन पत्र में कोई कमी अथवा संदिग्धता पायी जाती है तो उस आवेदन पत्र को अस्थायी रूप से निरस्त करेंगे एवं पुनः सत्यापन एवं जॉच हेतु सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से निरस्त किये गये आवेदन पत्रों की 15 दिनों के भीतर पुनः

जांच/सत्यापित करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(VI) उत्तराखण्ड़ शिक्षा परिषद के इण्टरमीडिएट की परीक्षा में शामिल छात्राओं का परिणाम सीधे परिषद द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित आई0टी0 सैल को परीक्षाफल जारी होने के एक सप्ताह के भीतर प्रमाणित हार्ड/सॉफ्ट कॉपी को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा, जिसे आई0टी0सैल एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड़ के सहयोग से गौरा देवी कन्या धन योजना पोर्टल पर अपडेट करायेगा तथा जो छात्राए अन्य परीक्षा बोर्डो की इण्टरमीडिएट की परीक्षा मे शामिल होंगी उन्हें जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिले स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर छात्राओं का परीक्षाफल प्राप्त करना होगा तथा गौरा देवी कन्या धन योजना पोर्टल पर उन छात्राओं का परीक्षाफल अपडेट करना होगा।

(VII) **सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा जिन छात्राओं को गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत पात्र पाया जायेगा, छात्रा द्वारा पूर्व में अपने आवेदन पत्र के साथ सलग्न एफ0ड़ी0 के फार्म में जिस बैंक का एफ0डी0आर0 फार्म भरा गया है एवं जहाँ उसका खाता है उस बैंक को** सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी यह **सूचित करेंगे कि इस छात्रा को गौरा देवी कन्या धन योजना हेतु पात्र पाया गया है तथा जो धनराशि छात्रा के खाते मे ऑनलाईन माध्यम से प्रेषित की जा रही है उस धनराशि को तत्काल एफ0डी0 के रूप मे स्थानांतरित कर दें।**

(VIII) सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति उपरान्त आवेदकों के बैंक खातों में ऑनलाईन माध्यम से धनराशि प्रेषित कर सम्बन्धित बैंक द्वारा एफ.डी. बनाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित की जायेगी।

(IX) उक्त प्रक्रिया शासकीय/अशासकीय एवं विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर के क्षेत्राधिकार से बाहर अन्य विद्यालयों में इण्टरमीडिएट कक्षा में अध्ययनरत योग्य छात्राओं हेतु भी लागू होगी।

<u>गौरा देवी कन्या धन योजना हेतु कन्या धन की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निर्धारित समय–सारणी।</u>

क्र.स.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अन्तिम तिथि (प्रत्येक वर्ष हेतु)
1	सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रा का ऑफलाईन फार्म भराकार सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।	**01 दिसम्बर से 31 जनवरी तक**
2	सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी अपने स्तर पर प्राप्त ऑफलाईन आवेदनों की ऑनलाईन प्रविष्ट की जायेगी।	**01 फरवरी से 15 मार्च तक**

3	सम्बन्धित खण्ड़ के सहायक समाज कल्याण अधिकारी आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।	**16 मार्च से 31 मार्च तक**
4	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय अपने स्तर पर आवेदनों की जॉच करेंगे, कमी एवं त्रुटि पाये जाने पर पुन जॉच हेतु सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगं।	**01 अप्रैल से 10 अप्रैल तक**
5	सम्बन्धित खण्ड़ के सहायक समाज कल्याण अधिकारी 15 दिनों के भीतर पुनः जॉच करके आवेदनों को सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।	**11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक**
6	इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने कें उपरान्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा एफ0डी0आर0 बनाये जाने हेतु छात्राओं के खाते मे ऑनलाईन धनराशि स्थान्तरित की जायेगी।	**इन्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनो के भीतर**

आगामी वर्षो हेतु भी गौरा देवी कन्या धन की स्वीकृति एवं वितरण की समय सीमा उक्तानुसार यथावत रहेगी। उक्त निर्धारित की गयी समय सीमा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार शासन/निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, जनजाति कल्याण में निहित होगा।

4. आवेदन पत्र में अंकित विवरण एवं संलग्नकों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगें। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर आवेदक के विरूद्ध आवश्यक विधि–सम्मत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें आवेदक के विरूद्ध सिविल अथवा क्रिमिनल कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कार्यवाही जैसे अनुदान की धनराशि रिकवरी आदि शामिल हो सकता है।
5. इस ऑनलाईन प्रणाली द्वारा आवेदकों को गौरा देवी कन्या धन योजना के प्रकरणों का त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण सम्बन्धी तथा अन्य लाभों को देखते हुए यह व्यवस्था एन0आई0सी0 के तकनीकी सहयोग सें समस्त जिलों मे तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। प्रत्येक जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा जनजाति कल्याण निदेशालय (भगत सिंह कालोनी, देहरादून) में स्थापित समाज कल्याण के आई0टी0 सैल द्वारा भी खण्डों में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारियों, जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जिला प्रोबेशन अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण तथा निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा स्वयं अथवा आई0टी0सैल के माध्यम से गौरा देवी कन्या धन योजना की उक्त स्थापित व्यवस्था की समय–2 पर समीक्षा की जायेगी तथा अपने सुझाव शासन को प्रेषित किये जायेंगे। किसी भी खण्ड में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारियों, जिला समाज कल्याण अधिकारियों तथा जिला प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा यदि शासनादेश में वर्णित किसी प्राविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. शासनादेश के समस्त प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आगामी वर्षो में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
7. योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन/संचालित किये जाने में किसी भी स्तर पर शिथिलता बरते जाने पर इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा।
8. उक्त शासनादेश शिक्षा विभाग की सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।
9. योजना के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या– 749 /XVII-4/2016–01(135)/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5. सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड़ शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड़।
9. सचिव, राज्य बैकर्स समिति।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड़।
11. उपनिदेशक/नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, देहरादून।
12. समस्त लीड बैंक अधिकारी, उत्तराखण्ड़।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड़।
14. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

9 संक्रमण को फैलने से रोकें दो गज की दूरी, सुरक्षा हेतु है जरूरी, मास्क व सामाजिक दूरी को बनाकर अप

पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृति योजना

1. पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृति योजना-

इस योजना के अर्न्तगत कक्षा 3 से 10 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है :

पात्रता-

- छात्र/छात्रा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत हो।
- छात्र /छात्रा का विगत वर्ष की कक्षा में उतीर्ण रहा/रही हो।
- छात्र/छात्रा को किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति प्राप्त न हो रही हों।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय रु.1000/- तक हो।
- कक्षा 3 से 5 तक प्रत्येक विद्यालय प्रत्येक कक्षा में एक एक छात्र कुल 3 छात्र तथा कक्षा 6 में 2 कक्षा 7 व 8 में 3-3 छात्र कुल 8 छात्र/छात्रा संख्या का मानक निर्धारित हैं।
- कक्षा 9 तथा 10 में उक्त आय सीमा के अर्न्तगत आने वाले समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृति अनुमन्य है।
- छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में ही आवेदन करना है ।
- छात्रवृति हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.मई(प्रत्येक वर्ष) तथा नये प्रवेश की स्थिति में 31 जुलाई निर्धारित की गयी है।
- प्रत्येक विद्यालय स्तर पर छात्रवृति की स्वीकृति हेतु समिति गठित है। छात्रवृति स्वीकृति समिति समस्त पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृति स्वीकृति प्रदान कर छात्रवृति स्वीकृति सूची खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था है। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति की धनराशि विद्यालय के छात्रवृति संयुक्त खाते जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा संस्था के एक अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक एंव ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है, में स्थानान्तरित की जाती है।

- **पिछडी जाति जाति कक्षा 3 से 10 छात्रवृत्ति की दरें निम्न हैं :-**
  (वर्ष 2005-06 से प्रभावी दरें)
  कक्षा 3 से 5 रु.50/- प्रतिमाह 10 माह हेतु
  कक्षा 6 से 8 रु. 80/- प्रतिमाह 10 माह हेतु
  कक्षा 9 से 10 रु. 100/- प्रतिमाह 10 माह हेतु

2. <u>पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्तिः</u>

इस योजना के अर्न्तगत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है:

पात्रता

- उत्तराखण्ड राज्य का निवासी छात्र/छात्रा राज्य अथवा राज्य से बाहर में संचालित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/तकनीकी/चिकित्सकीय/प्रबन्धन संस्थान में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत हो।
- छात्र /छात्रा का विगत वर्ष की कक्षा में उतीर्ण रहा/रही हो ।
- छात्र /छात्रा द्वारा वर्तमान कोर्स से पूर्व कोई व्यवसायिक कोर्स न किया हो।
- छात्र/छात्रा को किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति प्राप्त न हो रही हों।
- छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को अनुमन्य होगी जिनके माता-पिता /अभिभावक की वार्षिक आय रु. 100000/- (रु. एक लाख) तक हो ।
- छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों को अपने संस्थान में ही आवेदन करना है ।
- छात्रवृति हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 मई (प्रत्येक वर्ष) तथा नये प्रवेश्व की स्थिति में 31 जुलाई निर्धारित की गयी है।जिन पाठयक्रमों में प्रवेश्व 30 सितम्बर के बाद हो वहां प्रवेश के एक माह के भीतर आवेदन करना होगा।
- प्रदेश से बाहर अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को सम्बन्धित संस्था के पत्र के साथ आवेदन-पत्र अपने निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी, को दिनांक 30 नवम्बर तक प्रेषित करने होंगे।
- प्रत्येक विद्यालय स्तर पर छात्रवृति की स्वीकृति हेतु समिति गठित है। छात्रवृति स्वीकृति समिति समस्त पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृति स्वीकृति प्रदान कर छात्रवृति स्वीकृति सूची तथा संबंधित कोर्स के लिए विश्वविद्यालय /संबंधित कोर्स के लिए शासन द्वारा निर्धारित नान-रिफन्डेबुल फीस का विवरण सहित मॉग पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था है।
- प्रदेश से बाहर स्थित विष्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं छात्रवृति का आवेदन अपने संस्था में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित है। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के अनुसार यदि निर्धारित मानकों के अनुरुप छात्रवृति अनुमन्य है तो संबंधित संस्थान

अपने स्तर से अनुसार छात्रवृति का फार्म उस जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगें, जिस जिले का छात्र निवासी है।

- छात्रवृति हेतु पात्र होने के लिए पात्र होने की स्थिति में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृति तथा शुल्क की धनराशि संबंधित छात्र/छात्रा के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० एकाउन्ट में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।
- यह छात्रवृति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
- छात्रवृति केवल प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो छात्रवृति अगले माह से अनुमन्य होगी) ।

पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृति निम्न दरों एंव मानकों के अनुसार प्रदान की जाती हैः-(दिनांक 01.07.2011 से प्रभावी)

वर्ग
छात्रवृति के मानक
अवधि **(अधिकतम)**
पाठ्यक्रम
दर प्रतिमाह
माता-पिता की वार्षिक आय सीमा
हास्टलर
डेस्का-लर
पिछड़ी **जाति**
1.स्नातक द्धितीय एंव तृतीय वर्ष सामान्य पाठ्यक्रम
रू. 260/-
रु.160/-
अधिकतम रुपये 1.00 लाख(रू एक लाख) तक वार्षिक आय।
प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो अगले माह से छात्रवृति अनुमन्य होगी)
2. विधि उपाधि,पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, स्नात्तकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
रू.400/-

रु.210/-
3.डिप्लोमा,इंजीनियर,चिकित्सा, भोजन प्रबन्ध,नर्सिग एंव फार्मेसी में उपाधि
रू.510/-
रु.335/-
4.मेडिकल,इन्जीनियर डिग्री स्तर,स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक अध्ययन शोध
रु. 750/-
रु.350/-

Source : Department of Secretariat Administration - Govt. Of Uttarakhand, Last Updated on 19-12-2023

संख्या-14 /XXIV-C-2/2022/03(गो0)2021

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक:4 जनवरी, 2022

विषय– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 423/2021 की प्रतिपूर्ति हेतु राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 **423/2021 "गर्वमेन्ट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा"** की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत वर्तमान मे राजकीय महाविद्यालयो में अध्ययनरत् लगभग 1.05 लाख छात्रो को टैबलेट्स उपलब्ध कराए जाने हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रति छात्र ₹12,000/– की धनराशि उनके खाते में उपलब्ध कराए जाने हेतु कुल **₹126.00 करोड़ (₹ एक अरब छब्बीस करोड़ मात्र)** की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन नियमानुसार व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि नियमानुसार सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर रखी जाएगी तथा उसी मद में व्यय की जाएगी जिस हेतु स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन स्वीकार नही किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की आकलित संख्या के आधार पर निर्गत की जा रही है। वास्तविक छात्रों की संख्या में भिन्नता होने पर तत्काल शासन को अवगत कराया जाएगा तथा छात्र संख्या कम होने की स्थिति में अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त मे नियमानुसार समर्पित की जाएगी।
3. टैबलेट्स के वितरण में पारदर्शिता के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें सम्बन्धित जनपद के विभागीय नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित महाविद्यालय/महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा पी0टी0ए0 अध्यक्ष सम्मिलित होंगे।
4. उक्त समिति का दायित्व होगा कि योजना की प्रगति का सतत् रूप से अनुश्रवण किया जाएगा जिसके अन्तर्गत i). क्रय किए गए टैबलेटों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना ii). सम्बन्धित छात्र द्वारा टैबलेट क्रय का वाउचर निश्चित समयावधि में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि उक्त समिति द्वारा चयनित/संस्तुत छात्रों को उनके बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
6. महाविद्यालय स्तर पर योजना का लाभ लिए गए छात्रों का विवरण रखा जाएगा, जिसे शैक्षणिक सत्र के अन्त में निदेशालय को उपलब्ध कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

D:\...\...docx

CamScanner

7. उक्त योजना के प्रचार–प्रसार हेतु दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाएं।
8. छात्रों द्वारा नवीनतम मॉडल एवं गुणवत्ता के टैबलेट क्रय किए जाएंगे। इसके लिए टैबलेट के न्यूनतम विनिर्देश (Specification), Ministry of Electronics and Information Technology (Meity) द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश दिनांक: 27.08.2021 के अनुरूप मुख्यतः इस प्रकार हैं– Display- 8 inch or more (TFT Capative, multi touch), operating system- Android 10 or equivalent, processor- Quad core (processor speed 1.8 GHz or more), RAM- 2 GB or more, Internal memory-32 GB or more, WI-FI, Bluetooth, Connectivity-4G/LTE Volce 3G/2G, Protective glass, Cover Case etc.
9. छात्रों द्वारा उपरोक्त इंगित विशिष्टियों युक्त टैबलेट क्रय किया जाना अनिवार्य है। क्रय मूल्य तथा स्वीकृत धनराशि ₹12,000/– में जो कम हो, वही अनुमन्य होगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–80–800–02 की मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 281(म0)XXVII(3)/2021 दिनांकः 04 जनवरी, 2022 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : —— /XXIV-C-2/2021/03(घो0)2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून ।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अनुभाग अधिकारी, मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनु0–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

D:\sandeep\Ghoshna\draft.docx